प्रेषक,

संख्याः-1852/XXVIII-5-2015-35/2015.

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2015

विषयः लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी, के माह जून एवं जुलाई 2015 के बीजको के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सं0-27प/पी0पी0पी0/21/2013/19788, दिनांक 13.08.2015, एवं सं0-27प/पी0पी0पी0/21/ 2013/ 19789, दिनांक 13.08.2015, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी के माह जून एवं जुलाई हेतु कमशः -4,18,540.00 एवं माह जुलाई के कुल बीजक ₹ 20,87,555- ₹4,18,540.00 (माह जून 2015 की Penlty की अवशेष देय धनराशि) के भुगतान हेतु कुल ₹ 16,69,013.00 (सोलह लाख उनहत्तर हजार तेरह मात्र)** के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान मै0 राजभरा मेडिकेयर प्रा0 लि0, के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त संस्था को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून जिम्मेदार होंगे।
2. निजी सहभागी द्वारा उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदान की जा रही सेवाओं के संतोषजनक होने के सम्बन्ध में पूर्णतः सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। KPI के अनुसार यदि कटौती किया जाना आवश्यक हो, तो अनुबन्धानुसार धनराशि में कटौती की जानी सुनिश्चित की जायेगी।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. उक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं महानिदेशक से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है, कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रश्नगत अनुबंध को भविष्य में Re- Enter किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ शासन को **एक सप्ताह** के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, आयोजनागत, 06-लोक स्वास्थ्य, 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य

कार्यक्रमों का संचालन, मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1080/XXVII(1)/2015, दिनांक 08 सितम्बर 2015 में प्राप्त उनकी सहमति एवं दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत/जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक आलॉटमेन्ट आई डी0-S1509120225

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1252 (1)/XXVIII–5–2015–35/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
7–नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8–एन0आई0सी0।
9–मै0 राजभरा मेडिकेयर प्रा0 लि0, 9/11 सर्कुलर रोड डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।